>

Title: Need to open Anganwadi Centre in East Kashikhedi Village in Rajgarh Parliamentary Constituency.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया का ध्यान उनके मंत्रालय की महत्वपूर्ण ""समेकित बाल विकास सेवा योजना" जो कि पूर्णतया केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, की ओर दिलाना चाहूंगा। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

इस योजना के अन्तर्गत संबंधित इलाके के लोगों व जनप्रतिनिधियों की मांग पर आंगनवाड़ी केन्द्र व लघु आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। लघु आंगनवाड़ी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां की जनसंख्या 150 से 400 के मध्य होती है तथा नदी व तटीय इलाकों में जनसंख्या का मापदण्ड 150 से 300 ही निर्धारित किया गया है, वहां खोले जाते हैं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ के अन्तर्गत जीरापुर परियोजना में काशीखेड़ी पूर्व नाम से एक गांव आता है। जहां की जनसंख्या परियोजना के वर्तमान सर्वे के अनुसार 498 है। यह गांव छापी नदी व एक बड़े सिंचाई तालाब के तट के दूसरे छोर पर स्थित है। इस गांव में लघु आंगनवाड़ी केन्द्र खुलवाने के लिए वहां के स्थानीय व्यक्तियों की मांग पर मैं वर्ष 2010 से लगातार संबंधित विभाग से पत्राचार करता आ रहा हूं तथा सदन के माध्यम से भी मैंने इस मांग को प्रश्नों के माध्यम से उठाया है, लेकिन नतीजा आज तक कुछ नहीं निकला है।

महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है।

MR. CHAIRMAN : What you want, you have already raised it. Please sit down.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि यदि सांसद, विधायक की उचित व नियमानुसार जायज मांग को राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा मांग की श्रेणी में नहीं लिया जाता है, तो क्यों न इस स्कीम में से "मांग आधारित लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों का खोला जाना" उपबन्ध समाप्त ही कर दिया जाये।